फाइल नं0-71-3099/98/2020-03-

107/2022/1/198204/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
गाजीपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांकः 03 अगस्त, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र सहायतित योजना ''इस्टेब्लिशमेंट आफ न्यू मेडिकल कालेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल'' (फेज-2) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमवीएएसएमसी गाजीपुर/उपयोगिता प्र0पत्र/2022/1243, दिनांक 20.05.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है।

2- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-38/2018/906/71-3-2018-एन0एम0-2/2018, दिनांक 14.11.2018 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 22043.36 लाख (रू0 दो अरब बीस करोड तैंतालिस लाख छत्तीस हजार मात्र)+ जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 188.85 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	**शासनादेश संख्या व दिनांक**	**धनराशि (रू0 करोड में)**
1	संख्या-38/2018/906/71-3-2018-एन0एम0-02/2018,दिनांक 14.11.2018	50.00(केन्द्रांश)
2	संख्या-87/2019/1279/71-3-2019-एन0एम0-02/2018,दिनांक 16.11.2019	38.00(केन्द्रांश)
3	संख्या-57/2020/997/71-3-2020-एन0एम0-02/2018,दिनांक 24.09.2020	20.00(राज्यांश)
4	संख्या-90/2020/1436/71-3-2020-एन0एम0-02/2018,दिनांक 30.12.2020	20.00(केन्द्रांश)
5	संख्या-31/2021/304/71-3-2021-एन0एम0-02/2018,दिनांक 24.02.2021	37.00(केन्द्रांश)
6	संख्या-100/2021/ई-1763124/71-03-2021-एन0एम0-02/2018, दिनांक 16.08.2021	23.85 (केन्द्रांश)
	योग-	**188.85**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के निर्माण कार्य की प्रायोजना हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष **रू0 20.00 करोड़ (रू0 बीस करोड**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.upnic.in

मात्र) राज्यांश के रूप में निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नही रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-38/2018/906/71-3-2018-एन0एम0-2/2018, दिनांक 14.11.2018 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058907 मेडिकल कालेज, गाजीपुर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E3-132/दस/2022-23, दिनांक 30 जुलाई, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तददिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, गाजीपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in